डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक:COE/364/2025 परीक्षा दिशा–निर्देश दिनांक: 17/11/2025

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध परीक्षा केन्द्र,
डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः–परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर एवं बी0काम0 (वोकेशनल) प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर तथा परास्नातक सप्तम / प्रथम एवं नवम / तृतीय सेमेस्टर नवम्बर / दिसम्बर 2025 की दिनांक **21.11.2025** से प्रारम्भ हो रही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत माननीय कुलपतिजी के आदेश दिनांक 17.11.2025 के आदेशानुसार निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

1. सील्ड प्रश्नपत्रों के बण्डल को प्राप्त करने एवं परीक्षा केन्द्र पर भेजने से पूर्व नोडल परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य सुनिश्चित कर लें, कि सम्बन्धित सील्ड प्रश्नपत्रों का बण्डल नोडल केन्द्र से सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों का ही है।
2. समस्त परीक्षा केन्द्र प्रभारी / केन्द्राध्यक्ष सम्बन्धित नोडल केन्द्र से प्रतिदिन पालीवार प्रश्न–पत्र के सील्ड पैकेट व अन्य गोपनीय सामिग्री प्राप्त कर सुरक्षित तरीके से अपने वाहन में ले जाना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षा उपरान्त एक घण्टे में लिखित उत्तरपुस्तिकाओं के सील्ड पैकेट नोडल केन्द्र पर नोडल केन्द्र की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक रूप से जमा कराना सुनिश्चित करेंगे, समयान्तर्गत उत्तरपुस्तिका जमा न कराने की स्थिति में सामूहिक नकल सम्बन्धी कार्यवाही करते हुये केन्द्र को परीक्षा सम्बन्धी कार्यों से विरत कर दिया जायेगा।
3. परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष सील्ड प्रश्नपत्रों के बण्डलों को खोलने से पूर्व परीक्षा कार्यक्रम से मिलान कर सुनिश्चित करलें, कि सम्बन्धित बण्डल के प्रश्नपत्र उसी तिथि एवं प्रनपत्र शीर्षक व कोड के है।
4. परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगें, कि परीक्षा में केवल उन्हीं छात्रों को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेशपत्र निर्गत किया गया हो।
5. नोडल केन्द्र / परीक्षा केन्द्र प्रतिदिन प्रत्येक पाली में उपस्थित, अनुपस्थित एवं यू0एफ0एम0 में आरोपित अभ्यर्थियों की संख्या (छात्र / छात्राओं की अलग–अलग संख्या) का ऑनलाइन विवरण कालेज लॉगिन आई0डी0 में "Online Attendance" के नाम से लिंक दिया गया है जिसमें उपस्थित, अनुपस्थित एवं यू0एफ0एम0 का विकल्प प्रदान किया गया है, प्रतिदिन प्रत्येक पाली में ऑनलाइन परीक्षार्थियों की संख्या आख्या अंकित करते हुए प्रति अपने पास निकालकर संरक्षित कर सकते हैं। उक्त सूचना प्रत्येक पाली में परीक्षा प्रारम्भ होने के एक घण्टा के अन्दर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे शासन को समय से सूचना प्रेषित की जा सके।
6. स्ट्रांग रूम में डिजिटल लॉक एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा अनिवार्य रूप से लगा हो। प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्र पर भेजने की कार्यवाही सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में की जाए, जिसकी रिकाडिंग भी संरक्षित रखी जाये।
7. प्रश्नपत्रों के सील्ड पैकिट को परीक्षा केन्द्रों पर खोलते समय आवश्यक रूप से वीडियो रिकार्डिंग की जाए और उसकी सी0डी0 विश्वविद्यालय में उपलब्ध करायी जाए।
8. उत्तर पुस्तिकाओं / ओ0एम0आर0 शीट के साथ उपस्थिति पत्रक की मूलप्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाए और उसकी कार्बन प्रति परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षित रखी जाए।
9. परीक्षा देते समय प्रश्नपत्र हल करने हेतु परीक्षार्थी को दी जाने वाली बुकलेट सीरिज A,B,C,D एवं बुकलेट नंम्बर दोनो ओ0एम0आर0 ऑन्सरशीट पर सही भरा जाना आवश्यक है, जो उक्त परीक्षार्थी को निर्गत की गयी हो, कक्षनिरीक्षक हस्ताक्षर करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा रोल नं0 एवं सीरीज आदि सही–सही भरा गया है।
10. परीक्षा केन्द्र पर एक से अधिक महाविद्यालयों का केन्द्र होने पर अभ्यार्थियों को मिश्रित रूप से बैठने की व्यवस्था की जाए।
11. समस्त केन्द्रों के प्रचार्य / केन्द्राध्यक्ष परीक्षा केन्द्र पर मोबाइल पूर्णतः वर्जित रखें (परीक्षार्थी एवं कक्ष निरीक्षक सहित), जिसकी सूचनाकेन्द्र के मुख्य द्वार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायी जायें।
12. परीक्षा नोडल केन्द्र से सील्ड बंडल प्राप्त करने हेतु वाहन संख्या एवं वाहक की समस्त सूचना नोडल केन्द्र को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगें।
13. केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कोई परीक्षार्थी परीक्षा आरम्भ होने के डेढ़ घण्टे बाद ही उत्तरपुस्तिका जमा करके परीक्षा केन्द्र से बाहर जा सकेगें।
14. परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनट तक की देरी से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
15. स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के प्राचार्य / प्राचार्या अथवा प्राचार्य द्वारा नामित विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षक को ही केन्द्र व्यवस्थापक बनाया जाना सुनिश्चित करें।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप–कुलसचिव, परीक्षा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि परीक्षा की प्रतिदिन की सूचना को संकलित कराके निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।
2. अधीक्षक, कुलपति सचिवालय को माननीय कुलपतिजी के सूचनार्थ।
3. अधीक्षक, कुलसचिव कार्यालय।
4. अधिकृत एजेन्सी 2025 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के लॉगिन आई0डी0 एवं विश्वविद्यालय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करें।
5. गार्डफाइल।

परीक्षा नियंत्रक